

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(नक्सल-प्रबंधन प्रभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक, 26.12, 2013

सेवा में

श्री हरपाल सिंह राणा
ए-1 ग्राम एवं डाकघर-काटीपुर
दिल्ली-110036

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके दिनांक 04.11.2013 के आवेदन सं. 13-11-34 के तहत मांगी गई सूचना।

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके दिनांक 04.11.2013 के आवेदन के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 27.11.2013 के का. ज्ञा. सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई का अवलोकन करें।


उपर्युक्त आवेदन के बिंदु सं. (5) से (10) के संबंध में उपलब्ध सूचना निम्नानुसार मुहैया करवाई जा रही है:-

- वामपंथी उग्रवादियों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए राज्य सरकारों की अपनी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीतियां हैं। तथापि, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों हेतु सुरक्षा संबंधी व्यय योजना (एस आर ई) के तहत, केन्द्र सरकार, अन्य बातों के साथ-साथ समय-समय पर संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा वामपंथी उग्रवादी काडरों के आत्मसमर्पण तथा पुनर्वास पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करती है।
- भारत सरकार ने 'प्रभावित राज्यों में वामपंथी उग्रवादियों के लिए आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास योजना' को और अधिक व्यावहारिक एवं व्यापक बनाने के लिए दिनांक 1.4.2013 से इसमें संशोधन किया है। जब सरकार द्वारा दिशानिर्देशों में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई तो इनमें संशोधन किया गया। दिशानिर्देशों/नीति में संशोधन के लिए कोई तारीख या समय सीमा निर्धारित नहीं थी।
- संशोधित नीति में पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, उच्च रैंक के वामपंथी उग्रवादी काडरों के लिए 2.5 लाख रु. का तत्काल अनुदान, तथा मध्यम/निचले रैंक के वामपंथी उग्रवादी काडरों, जिन्होंने संबंधित राज्य सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, के लिए 1.5 लाख रु. का तत्काल अनुदान प्रदान किया जाना शामिल था। इसके अलावा, आत्मसमर्पण करने वाले लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए

... अक्षय: 2/-

4000/- रु. की मासिक वृत्तिका प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, उक्त योजना के तहत हथियारों/गोलाबारूद इत्यादि के समर्पण हेतु प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाता है।

अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत इस सूचना के संबंध में अपील, यदि कोई हो, इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर श्री एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव, नक्सल प्रबंधन प्रभाग, कक्ष सं. 193-ए/1, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के समक्ष की जाएगी।



(रामबीर सिंह)

निदेशक (एन एम)

एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रति प्रेषित:-

o/c


30/12

1. श्री एस सामंत, अवर सचिव (आर टी आई), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को उनके दिनांक 27.11.2013 के का. जा. सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई के संदर्भ में।

सं. ए-43020/01/2013-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक : 27/11/2013

कार्यालय आपन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/शुद्धी हरपाल सिंह राणा का आवेदन।

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/शुद्धी हरपाल सिंह राणा दिनांक 04/11/2013 के आवेदन (इस न्यायलय में प्रमाणपत्र संख्या 18/11/2013 से अंतरण द्वारा दिनांक 18/11/2013 को प्राप्त) को एन.एम. प्रभाग को अवैधित करने का निर्देश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अवैधित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 1/12/2013 को ~~रख दिया है~~ ~~जमा कर दिया है~~ (संलग्न) नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एन श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

सु. सामंत
(एस. सामंत)

जवर सचिव, भारत सरकार

संवा में

निदेशांक (एन.एम.)

गृह मंत्रालय,

माधव बाजार, नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/शुद्धी हरपाल सिंह राणा

ए-1, आन कपूर - कादीपुर,

दिल्ली - 110036.

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए ऊपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

3/12

U.S (NM III)

3/12

SOCNM III
27/11/13

श्री. V. Kar
1254/NM-III
3/12/2013

G/Dia NM-2/12/13
3/12/13

C-195897/H5/13
13.11.13

7020/RTI/2013
27/11/13

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 011

संख्या आरटीआई/5727/2013-पीएमआर

दिनांक: 12/11/2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री हरपाल सिंह राणा से प्राप्त दिनांक 4.11.2013 का आवेदन-पत्र क्रमांक 13/11/34, जो इस कार्यालय में दिनांक 8.11.2013 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

H5 2013
13/11/13
JSC(A)

गृह सचिव, गृह मंत्रालय
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

(सैयद इकराम रिज़वी)

उप सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
☎: 2307 4072

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री हरपाल सिंह राणा
ए-1, ग्राम व पोस्ट कादीपुर
दिल्ली - 110 036

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त
लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें।

14/11/13

DS(E)

DSM
DSRTI

Dir (NM)

